प्रकाशन हेतु अनुमोदित
2006:CGHC:372

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>
<u>रिट याचिका क्र. 896/2006</u>

सुक लाल
//विरुद्ध//
प्रेम कुमार बंधे एवं अन्य

निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका क्र. 896/2006</u>

सुक लाल
बनाम
प्रेम कुमार बंधे एवं अन्य

उपस्थिति :

श्री अनूप मजुमदार, अधिवक्ता	:	अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी
श्री आनंद कुमार तिवारी,	:	अधिवक्ता वास्ते उत्तरदाता क्र. 1(केविएटर)
श्री अरुण साव	:	उप शासकीय अधिवक्ता उत्तरदाता संख्या 2, रिटर्निंग अधिकारी
		उत्तर दाता संख्या 3 और 4 के लिए कोई नही

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>//निर्णय//</u>
<u>02.03.2006</u>

सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

" न्याय में विलम्ब न्याय से वंचित होना हो सकता है, लेकिन कुछ प्रकरणों में जल्दबाजी में दिया गया न्याय, न्याय को दफनाने के समान हो सकता है।"

निष्पक्ष चुनाव के लिए समाज की लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतपत्रों की गोपनीयता पर हमेशा ज़ोर दिया जाता है, लेकिन न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मतपत्रों की गोपनीयता बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, निरीक्षण का निर्देश दिया जा सकता है जब मतदान की गोपनीयता बनाए रखना आवश्यक हो तो, क्योंकि मतदान की गोपनीयता का संरक्षण एक अलंघनीय सिद्धांत है जिसे तब तक अकारण में या जल्दबाजी में नहीं तोड़ा जा सकता जब तक कि इसकी वास्तविक आवश्यकता न हो। आवश्यकता का पता लगाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया विधि को ज्ञात होनी चाहिए और मतपेटियों की सील खोलने के निष्कर्ष पर जल्दबाजी में पहुँचने के लिए प्रक्रियात्मक विधि की आवश्यकता को अनदेखा नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश पंचायत (चुनाव याचिकाएँ, भ्रष्ट आचरण और सदस्यता के लिए निरर्हता) नियम, 1995 के नियम 25 के अनुसार निर्णय की अंतिमता एक बड़ी चुनौती पैदा करती है। नियमों के अनुसार सख्ती से कार्य

करने की जिम्मेदारी निर्दिष्ट अधिकारी पर है, जो इस प्रकरण में प्रारंभिक चरण में पुनर्गणना का आदेश पारित करके नहीं किया गया है, जो इस न्यायालय को निम्नानुसार निर्णय लिखने के लिए बाध्य करता है:

(2) संक्षिप्त तथ्य यह है कि सरपंच पद के लिए ग्राम पंचायत भनपुरी, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) का चुनाव दिनांक 20.10.2005 को हुआ था। याचिकाकर्ता को उत्तरदाता संख्या 1 के खिलाफ एक वोट के अंतर से निर्वाचित घोषित किया गया था। उत्तरदाता संख्या 1 ने याचिकाकर्ता के चुनाव को इस आधार पर चुनौती दिया कि उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा डाले गए कुछ वैध मत को निर्वाचन अधिकारी द्वारा अविधिक रूप से अवैध घोषित किया गया था और मतगणना उचित नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया कि हालांकि मतगणना के समय निर्वाचन अधिकारी के समक्ष संबंधित नियमों के तहत पुनर्मतगणना के लिए एक आवेदन दिया गया था, लेकिन निर्वाचन अधिकारी के ने उक्त आवेदन को स्वीकार नहीं किया और अंततः परिणाम पूर्वोक्त तरीके से घोषित किए गए। चुनाव याचिका में की गई एकमात्र प्रार्थना यह है कि पुनर्मतगणना का निर्देश दिया जाए और याचिकाकर्ता का चुनाव रद्द किया जाए याचिकाकर्ता ने अपना लिखित कथन प्रस्तुत किया और उत्तरदाता क्र.1 के तर्क का विरोध किया उनका तर्क था कि मतगणना सही ढंग से की गई थी और इसके अलावा, उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा पुनर्गणना के लिए मतगणना के समय कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी और पुनर्गणना के लिए मतगणना के समय आवेदन प्रस्तुत करने के आरोप झूठे हैं। पुनर्गणना का कोई मामला नहीं बनता। उन्होंने याचिका निरस्त करने की प्रार्थना की। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्दिष्ट अधिकारी ने इसके बाद तर्क सुनीं और यह निष्कर्ष दर्ज किया चूँकि उत्तरदाता द्वारा निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पुनर्गणना के लिए आवेदन दिया गया था, और निर्वाचन अधिकारी ने उपरोक्त आवेदन स्वीकार नहीं किया। और इसके अलावा चूंकि केवल एक मत के अंतर से हार हुई है, इसलिए पुनर्मतगणना का निर्देश देना उचित होगा और इस तरह, उन्होंने चुनाव याचिका स्वीकार किया और चुनाव याचिका संख्या 3–बी/121/2004–2005 में पारित आक्षेपित आदेश 10.2.2006 के आक्षेपित आदेश द्वारा मतों की पुनर्मतगणना का निर्देश दिया।

(3) याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पुनर्मतगणना के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में निष्कर्ष अभिलेख पर किसी साक्ष्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पर आधारित नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि जब तक यह स्थापित नहीं हो जाता है कि निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पुनर्मतगणना के लिए आवेदन दिया गया था, मतों की पुनर्मतगणना के लिए याचिका पोषणीय नहीं होगी। उन्होंने यह भी तर्क दी कि पुनर्मतगणना के लिए याचिका को पक्षकारों को साक्ष्य देने का अवसर दिए बिना और इस बारे में सकारात्मक निष्कर्ष दर्ज किए बिना स्वीकार नहीं किया जा सकता कि पुनर्मतगणना क्यों आवश्यक है। तर्क यह थी कि जब तक चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा पुनर्मतगणना की प्रार्थना के संबंध में कोई आधार नहीं रखा जाता है और उसे ठोस मौखिक और/या दस्तावेजी साक्ष्य से पुष्ट नहीं किया जाता है, तब तक केवल पक्षकारों की तर्कों के आधार पर पुनर्मतगणना का आदेश न्यायोचित नहीं है।

(4) इसके विपरीत, उत्तरदाता संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पुनर्गणना का आदेश पक्षकारों के तर्क के आधार पर पारित किया जा सकता है और केवल इसी आधार पर आक्षेपित आदेश को रद्द नहीं किया जा सकता। उनका आगे तर्क यह था कि पंचायत राज अधिनियम की धारा 122 के अंतर्गत पुनर्गणना हेतु याचिका के उद्देश्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पुनर्गणना हेतु आवेदन प्रस्तुत करना कोई पूर्व शर्त नहीं है और यदि चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा पुनर्गणना का कोई अन्य मामला बनाया जाता है,तो इस बिंदु को अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5) मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है तथा रिट याचिका के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

(6) म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम (जिसे इसके बाद नियम कहा गया है) के नियम 80 के तहत निर्वाचन अधिकारी के समक्ष मतगणना के समय पुनर्मतगणना के अनुरोध के अभाव में पंचायत राज अधिनियम 1993 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 122 के तहत चुनाव याचिका की पोषणीयता के बारे में पहला बिंदु अब अनिर्णित नहीं है। इससे पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने **श्रीमती राम रति बनाम सरोज देवी, एआईआर 1997 एससी 3072** के प्रकरण में अभिनिर्धारित किया गया था कि जब तक कोई पार्टी पहले निर्वाचन अधिकारी को वोटों की पुनर्मतगणना के लिए आवेदन नहीं करती है, तब तक अधिकरण या न्यायालय पुनर्मतगणना का निर्देश नहीं दे सकता है। यह अभिनिर्धारित

किया गया कि निर्वाचन अधिकारी के समक्ष लिखित में पुनर्मतगणना के लिए आवेदन इस तरह के प्रकरण में चुनाव याचिका दायर करने के लिए यह एक आवश्यक पूर्व शर्त थी। बाद मे, सोहनलाल बनाम बाबू गांधी प्रकरण और अन्य एक आवेदन, एआईआर 2003 एससी 320, के प्रकरण मे सर्वोच्च न्यायालय ने लगभग उन्हीं बिंदुओं का निपटारा करते हुये राम रति (पूर्वोक्त) के प्रकरण पर विचार किया और अभिनिर्धारित किया कि उक्त प्रकरण में निर्धारित विनिशचयाधर सही नहीं है। अधिनियम की धारा 43, 195 और 122 के प्रावधानों और उपरोक्त नियमों के नियम 80 को ध्यान में रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकरण अभिनिर्धारित किया कि नियम 80 के उप–नियम (5) के तहत, एक बार परिणाम पत्रक पूरा हो जाने और हस्ताक्षर हो जाने के बाद पुनर्गणना के लिए कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि नियम 81 यह उपबन्धित करता है कि मतों की पुनर्गणना के बाद, निर्वाचन अधिकारी एक विवरणी तैयार करेगा और सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित करेगा। नियम 83 के तहत, निर्वाचित घोषित किए गए निर्वाचित उम्मीदवार को एक प्रमाण पत्र दिया जायेगा। नियम 84 के तहत, प्रमाण पत्र दिए जाने के बाद, चुनाव अधिकारी या निर्वाचन अधिकारी केवल लिपिकीय या अंकगणितीय गलतियों को ठीक कर सकता है। इसलिए, परिणामों की घोषणा के बाद, निर्वाचन अधिकारी के पास पुनर्गणना या चुनाव के परिणामों को बदलने की कोई शक्ति नहीं है। एक बार परिणाम घोषित होने के बाद पीड़ित पार्टी के पास एकमात्र उपचार अधिनियम की धारा 122 के अंतर्गत एक चुनाव याचिका दायर करना है। इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि चुनाव याचिका में यह मानना सही नहीं है कि, चुनाव याचिका मे परिणाम घोषित करने के बाद, न्यायालय या अधिकरण मतों की पुनर्गणना का निर्देश नहीं दे सकता है जब तक कि पार्टी ने निर्वाचन अधिकारी 4 के समक्ष मतों की पुनर्गणना के लिए आवेदन नहीं किया हो। अधिनियम में या नियमों के तहत न्यायालय या अधिकरण को मतों की पुनर्गणना का निर्देश देने से रोकने का कोई प्रतिषेध नहीं है। वैसे भी किसी पार्टी को परिणाम घोषित होने तक यह पता नहीं चल सकता है कि पुनर्गणना आवश्यक है। इस स्तर पर, उसके लिए निर्वाचन अधिकारी से पुनर्गणना के लिए आवेदन करना संभव नहीं होगा। उसका एकमात्र उपाय धारा 122 के तहत चुनाव याचिका दायर करना होगा और ऐसे मामलों में, न्यायालय या अधिकरण तरको पर विचार करने के लिए बाध्य है और यदि प्रकरण बनता है तो यह पार्टीयो द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर पुर्नगणना हेतु निर्देश दे सकता है ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

इस प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में, यह स्पष्ट है कि विधि में यह आवश्यक नहीं है की पुनर्गणना के लिए चुनाव याचिका दायर करने के लिए, पुनर्गणना के लिए आवेदन उपरोक्त नियमों के नियम 80 के तहत मतगणना के समय निर्वाचन अधिकारी के समक्ष किया जाना चाहिए और चुनाव याचिका हमेशा अधिनियम की धारा 122 के पोषिणीय होगा, भले ही पुनर्गणना के लिए आवेदन रिटर्निंग अधिकारी को नहीं दिया गया हो, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

(7) अब मुख्य प्रश्न यह उठता है कि क्या इस प्रकरण के प्रचलित तथ्यों और परिस्थितियों के दृष्टिगत में अधिकरण द्वारा पुनर्मतगणना का आदेश पारित करना न्यायोचित था|

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8) राम सेवक यादव बनाम हुसैन कामिल किदवई एवं अन्य, एआईआर 1964 एस.सी. 1249 के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया मतपत्रों की गोपनीयता पर जोर देने को ध्यान में रखते हुए निरीक्षण का आदेश स्वाभाविक रूप से नहीं दिया जा सकता है:, न्यायालय द्वारा निरीक्षण का आदेश देना न्यायोचित होगा, बशर्ते दो शर्तें पूरी हों:

(i) कि किसी चुनाव को रद्द करने के लिए याचिका में उन महत्वपूर्ण तथ्यों का पर्याप्त विवरण शामिल है जिन पर याचिकाकर्ता अपने प्रकरण के समर्थन में भरोसा करता है; और

(ii) अधिकरण प्रथम दृष्टया इस बात से संतुष्ट है कि विवाद का निर्णय करने तथा पार्टीयो के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए मतपत्रों का निरीक्षण आवश्यक है।

सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त कानून को लागू करते हुए एक सावधानी का नियम भी जोड़ा कि मतपत्रों के निरीक्षण का आदेश याचिका में की गई अस्पष्ट तर्क के समर्थन में नहीं दिया जा सकता, जिनका समर्थन भौतिक तथ्यों से नहीं होता या ऐसी तर्क के समर्थन में सबूत नहीं दिए जाते। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण को स्थापित करने के लिए, यदि न्याय के हित

में अपेक्षित हो, तो निरीक्षण का आदेश निस्संदेह दिया जा सकता है। लेकिन केवल यह आरोप कि याचिकाकर्ता को संदेह है या विश्वास है कि मतों का अनुचित रुप से ग्रहण किया गया, निरस्त किया गया है तब यह, निरीक्षण के आदेश का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

(9) डी.पी. शर्मा बनाम कमिश्नर और निर्वाचन अधिकारी, 1984 (सप्लीमेंट) एससीसी 157 के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि "यह अच्छी तरह से स्थापित है कि वोटों की पुनर्गणना का आदेश प्राप्त करने के लिए चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा एक उचित आधार तैयार किया जाना आवश्यक है, जिसमें सटीक सामग्री का संकेत दिया गया हो, जिसके आधार पर वह कुछ हद तक यह तर्क दे सके कि निर्वाचित उम्मीदवार के पक्ष में अवैध वोटों का अनुचित रुप से ग्रहण हुआ है या पराजित उम्मीदवार के पक्ष में वैध मतों को अनुचित तरीके से खारिज किया गया है या निर्वाचित उम्मीदवार के पक्ष में मतों की गलत गणना किया गया है, जो वास्तव में पराजित उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए थे।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10) पी.के.के. शम्सुद्दीन बनाम के.ए.एम. के प्रकरण में मपिल्लई मोहिंदीन एवं अन्य (1989) 1 एससीसी 526 में सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि "कानून की स्थापित स्थिति यह है कि मतपत्रों की जाँच और मतों की पुनर्गणना के आदेश का औचित्य पूर्वज्ञान और मतों की पुनर्गणना के परिणाम से नहीं निकाला जाना चाहिए। इसके विपरीत, मतों की पुनर्गणना के आदेश का औचित्य, चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा मतों की पुनर्गणना के आदेश से पहले प्रस्तुत किये गये तात्विक सामग्री द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। इस हितकारी नियम का कारण यह है कि मतपत्र की गोपनीयता का संरक्षण एक पवित्र सिद्धांत है जिसका उल्लंघन तब तक हल्के में या जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रथम दृष्टया इसकी वास्तविक आवश्यकता न हो। किसी पराजित उम्मीदवार का चुनाव परिणाम की वैधता पर प्रश्न उठाने और मतों की पुनर्गणना की मांग करने का अधिकार इस मूल सिद्धांत के अधीन होना चाहिए कि लोकतंत्र में मतपत्र की गोपनीयता पवित्र है और इसलिए जब तक कि प्रभावित उम्मीदवार साक्ष्य के माध्यम से स्वीकार्य सीमा तक यह आरोप लगाने और सिद्ध करने में सक्षम न हो कि प्रथम दृष्टया , न्याय के हित में, यदि चुनाव अधिकरण द्वारा मतों की पुनर्गणना का आदेश दिए जाने की प्रबल

सम्भावना नही है, तब तक अधिकरण या न्यायालय को मतों की पुनर्गणना का आदेश नहीं देना चाहिए।"

11) **<u>पी.एच.पुजार बनाम कांथी राजशेखर किडियप्पा एवं अन्य (2002) 3 एससीसी 742</u>** के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि मतों की पुनर्गणना का आदेश आकस्मिक रूप से नहीं दिया जा सकता। यह आदेश इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि हार का अंतर बहुत कम है। पुनर्गणना की मांग करने के लिए, तर्कों में भौतिक तथ्यों को स्थापित करके और बाद में अपेक्षित साक्ष्य प्रस्तुत करके इसे साबित करके उचित आधार तैयार किया जाना चाहिए। चुनाव याचिकाकर्ता की स्वयं की हठधर्मिता पर पुनर्गणना का आदेश नहीं दिया जा सकता है। यह दुर्लभ मामलों में आदेश दिया जा सकता है जहां विशिष्ट आरोप लगाए गए हैं और साबित हो गए हैं ताकि पक्षकारों के बीच पूर्ण न्याय हो सके (कंडिका 14 देखें)। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि पुनर्गणना की मांग करने वाले याचिकाकर्ता को यह आरोप लगाना और साबित करना चाहिए कि वोटों को अनुचित तरीके से स्वीकार किया गया था या वैध वोटों को अनुचित तरीके से खारिज किया गया था। यदि न्यायालय उक्त आरोपों की सत्यता से संतुष्ट है, तभी वह वोटों की पुनर्गणना का आदेश दे सकता है। चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतपत्र की गोपनीयता को हमेशा पवित्र अभिनिर्धारित किया गया है और इसे गिनती में अवैधता और अनियमितता के आरोप मात्र से बाधित नहीं किया । (कंडिका 13)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(12) सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों के आलोक में, यदि हम वर्तमान प्रकरण की जांच करें, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा केवल मतों की पुनर्गणना के लिए चुनाव याचिका दायर की गई थी और आरोप यह है कि उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा डाले गए कुछ वैध मतों को निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवैध रूप से अमान्य घोषित कर दिया गया था और गिनती उचित नहीं थी। निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने याचिकाकर्ता को अवैध लाभ पहुंचाने के इरादे से उत्तरदाता संख्या 1 के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम किया और मतों की अनुचित गिनती के बाद उन्होंने याचिकाकर्ता को एक मत के अंतर से निर्वाचित घोषित कर दिया। आगे आरोप यह है कि जब पुनर्गणना के लिए आवेदन दिया गया, तो निर्वाचन अधिकारी ने पहले तो उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उसके बाद उत्तरदाता संख्या 1 के अनुरोध पर, उन्होंने आवेदन ग्रहण किया, लेकिन पुनर्गणना नहीं किया गया। इन तथ्यों को

याचिकाकर्ता ने उत्तरदाता द्वारा प्रस्तुत चुनाव याचिका में लिखित कथन प्रस्तुत करके स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है। निर्दिष्ट अधिकारी ने विधि के अनुसार तर्क की पुष्टि के लिए पक्षकारों के साक्ष्य दर्ज नहीं किए और तर्क सुनने के बाद, उन्होंने चुनाव याचिका को यह निष्कर्ष दर्ज करते हुए स्वीकार कर लिया कि पुनर्गणना के लिए आवेदन दिया गया था और चूँकि पुनर्गणना नहीं हुई थी, इसलिए उत्तरदाता संख्या 1 मतों की पुनर्गणना का दावा करने का हकदार है और ऐसा ही किया जाना चाहिए। आवेदन प्रस्तुत करने का निष्कर्ष अभिलेख में उपलब्ध किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है, क्योंकि यह स्वीकृत है कि निर्दिष्ट अधिकारी ने पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया। यह निष्कर्ष केवल पक्षकारों की तर्कों पर आधारित है और इस कारण से, इसे विधि की दृष्टि में कायम नहीं रखा जा सकता। इस मुद्दे के संबंध में कानून सुस्थापित है। कानून की यह आवश्यकता है कि सबसे पहले चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा एक तर्क प्रस्तुत की जानी चाहिए जिसमें सामग्री का संकेत दिया गया हो जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि किसी निर्वाचित उम्मीदवार के पक्ष में अवैध मतों को अनुचित तरीके से स्वीकार किया गया है या चुनाव याचिकाकर्ता के पक्ष में वैध मतों को अनुचित तरीके से अस्वीकार किया गया है। यह तथ्य स्थापित करने के पश्चात् निर्वाचित अभ्यर्थी को नोटिस के माध्यम से अवसर दिया जाना चाहिए तथा निर्वाचन याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर लिखित बयान पर विचार करने के पश्चात् अधिकरण को दोनों पक्षकारों को अपने दावों को प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देना चाहिए तथा उसके बाद ही अधिकरण द्वारा किसी विशेष तथ्य के संबंध में कोई निष्कर्ष दर्ज किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13) मध्य प्रदेश पंचायत (चुनाव याचिकाएं, भ्रष्ट आचरण और सदस्यता के लिए निरर्हता) नियम 1995 (जिसे आगे नियम कहा जाएगा) में चुनाव याचिका निराकृत करने हेतु एक संपूर्ण प्रक्रिया निर्धारित की गई है नियम 11 विशेष रूप से निर्धारित करता है निर्दिष्ट अधिकारी के समक्ष प्रक्रिया और उसकी शक्तियाँ उपबंधित करता हैं। इस नियम का उप–नियम (1) यह प्रावधान करता है कि इन नियमों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक चुनाव याचिका की जाँच निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा, यथासंभव, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत वादों के विचारण के लिए लागू प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी: बशर्ते कि निर्दिष्ट अधिकारी के लिए केवल यह आवश्यक होगा कि वह उसके द्वारा परीक्षित किसी भी गवाह के साक्ष्य के सार का ज्ञापन तैयार करे। यह आगे यह निर्धारित

करता है कि निर्दिष्ट अधिकारी के पास वे शक्तियां होंगी जो जो वाद का विचारण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत एक न्यायालय में निहित हैं:–

क) प्रकटीकरण और निरीक्षण;

(ख) गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा उनके खर्चे जमा कराने की अपेक्षा करना;

(ग) दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना;

(घ) शपथ पर गवाहों की परीक्षा;

(ई) शपथपत्र पर लिए गए साक्ष्य को स्वीकार करना; और

गवाहों की जांच के लिए कमीशन जारी करना तथा किसी भी व्यक्ति को स्वप्रेरणा से बुलाना और उसकी जांच करना, जिसका साक्ष्य उसे महत्वपूर्ण प्रतीत होता है।

नियम 12 में पक्षकारों पर साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर अपने गवाहों को प्रस्तुत करने का दायित्व निर्धारित किया गया है तथा इसमें आगे यह भी प्रावधान किया गया है कि वे अपने गवाहों की अनुपस्थिति के कारण स्थगन के हकदार नहीं होंगे, साथ ही इसमें निर्दिष्ट अधिकारी को यह विवेकाधिकार दिया गया है कि वह संबंधित पक्षकार द्वारा आवश्यक प्रक्रिया शुल्क और व्यय जमा कराए जाने पर किसी भी गवाह को सम्मन जारी करने का आदेश दे सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(14) इन सब बातों से यह स्पष्ट होता है कि यदि ऐसा नहीं किया जाता है,तो पुनर्गणना सहित चुनाव याचिका को स्वीकार करने वाला कोई भी आदेश कायम नहीं रह सकता। चुनाव याचिकाकर्ता को चुनाव रद्द करने के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने हेतु अतिगामी जाँच की प्रार्थना करने की अनुमति नहीं दी जा सकती और न ही उसे चुनाव याचिका दायर करके जोखिम उठाने की अनुमति दी जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णयों में प्रतिपादित अंतर्निहित सिद्धांत यह दर्शाते हैं कि मतपत्र की गोपनीयता पर बल दिया गया है और उपरोक्त गोपनीयता पर बल दिए जाने को ध्यान में रखते हुए, इसमें सामान्यतः कोई खलल नहीं डाला जाना चाहिए।

(15) इस प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मुझे इस याचिका में आक्षेपित आदेश बचाव योग्य नहीं लगता। यह आदेश बिना किसी अभिलेख सामग्री की

अनुलब्धता के आधार पर पारित किया गया है, मानो अधिकरण चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा की गई शिकायत पर एक अतिगामी जाँच कर रहा हो, जो कि नियमों के प्रावधानों या इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का मूल सिद्धांत नहीं है।

(16) परिणामस्वरूप, याचिका स्वीकार की जाती है। आक्षेपित आदेश निरस्त किया जाता है। मामला निर्दिष्ट अधिकारी को वापस भेजा जाता है और उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे उपरोक्त उल्लिखित सिद्धांतों और इस आदेश में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, विधि के अनुसार गुण–दोष के आधार पर चुनाव याचिका का निराकृत करें।

वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

<u>अस्वीकरणः</u> हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित अभिनिर्धारित किया जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By <u>सुरमीन अहमद</u>